बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

संसं0- स0क0निग0-60/2026- 4539 13.8.2026

-:: संकल्प ::-

जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-160 दिनांक-08.12.2026 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्रीमती लक्ष्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल के विरूद्ध वित्तीय लाभ की प्रत्याशा में पूरक पोषाहार विपत्र ससमय उपलब्ध नहीं कराने, विधान सभा सत्र के प्रश्नों का ससमय जबाव उपस्थापित नहीं करने, मुख्यालय से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने तथा मुख्यालय से आदतन गायब रहने आदि का आरोप के साथ स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक पाते हुए श्रीमती रानी से विभागीय पत्रांक-1567 दिनांक-24.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती लक्ष्मी रानी के पत्रांक-191 दिनांक-01.04.2026 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद नहीं मानते हुए उपरोक्त अनियमितताओं के लिए श्रीमती लक्ष्मी रानी के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के तहत इनके विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया। गठित एवं अनुमोदित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(4) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-3654 दिनांक-10.07.2026 द्वारा इनसे लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-500 दिनांक-17.07.2026 द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती लक्ष्मी रानी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था। जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अत: वर्णित तथ्यों के आलोक मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी रानी के विरूद्ध उक्त आरोपों की जॉच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से इनके विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय।

(2) इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजेश सिन्हा, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) श्रीमती लक्ष्मी रानी से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिक दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हों तथा अपने बचाव का लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती लक्ष्मी रानी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका-(3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित पक्ष संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करती हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन) सहित श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती लक्ष्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-60/2026- 4539 पटना-15 दिनांक :- 13.8.2026

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ श्री सुशील कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्री राजेश सिन्हा, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्रीमती लक्ष्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-60/2026- 4539 पटना-15 दिनांक :- 13.8.2026

निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, कोशी/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।